("ग्रामीण सेवा शिविर–2025")

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

तहसीलदार बैजूपाडा बनाम छोटेलाल

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मु.न. 337/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.9.2025	यह प्रार्थना पत्र "ग्रामीण सेवा शिविर–2025" के दौरान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी, पटवार हल्का बावडीखेडा ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पटवारी हल्का बावडीखेडा के निवेदन पर सुना गया। पटवारी हल्का ने निवेदन किया कि वाके ग्राम खारीकीझोंपडी पटवार हल्का बावडीखेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076–79 में खाता संख्या 54 के खातेदार छोटेलाल, रामकिशन, श्योदान पुत्रान गंगाधर हिस्सा क्रमशः 1/15, 1/15, 1/15 जाति चमार सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त दर्ज रिकार्ड में जाति चमार के स्थान पर जाति बैरवा दर्ज की जावे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट दिनांक 27.09.2025 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा में खाता संख्या 54 के खातेदार छोटेलाल, रामकिशन, श्योदान पुत्रान गंगाधर हिस्सा क्रमशः 1/15, 1/15, 1/15 जाति चमार सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड में जाति चमार के स्थान पर जाति बैरवा दर्ज किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–4/6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 5(8)राज–4/83/राज–6/16 जयपुर दिनांक 01.11.1996 के अनुपालना में प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 की धारा 369 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है। **आदेश** हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 एवं भू–अभिलेख नियम 1957 की धारा 369 स्वीकार किया जाकर ग्राम खारीकीझोंपडी पटवार हल्का बावडीखेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076–79 में खाता संख्या 54 के खातेदार छोटेलाल, रामकिशन, श्योदान पुत्रान गंगाधर हिस्सा क्रमशः 1/15, 1/15, 1/15 जाति चमार सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड में जाति चमार के स्थान पर जाति बैरवा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष रिकार्ड मुताबिक जमाबंदी यथावत रहेगा। तहसीलदार बैजूपाडा को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक 30.9.2025 को सुनाया गया। (अमित कुमार वर्मा) R.A.S. उपखण्ड अधिकारी मण्डावर दौसा उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	